

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा० लि०, मे० रास इन्टरप्राईजेज प्रा० लि० द्वारा गया जिला के अंचल—खिजरसराय के गया फल्लु—०२ बालू घाट एवं ०३ बालू घाट, ग्राम— पंचरुखाई, फतेहपुर, फल्लु नदी का कलस्टर क्षेत्रफल—१६१.६० हेक्टेयर पर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ के तहत दिनांक— २२.०९.२०२० को अपराह्न ०२.३० बजे प्रखण्ड कार्यालय, खिजरसराय, जिला—गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २००६ के तहत राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०.ओ०.आ००. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या— SIA/1(a)/1161/2020, दिनांक—२४.०७.२०२० एवं टी०.ओ०.आ००. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या— SIA/1(a)/1035/2020, दिनांक—२१.०७.२०२० के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—१)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक— २२.०८.२०२० द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, २००६ के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाएंगे। खनन कार्य सतह से २-३ मीटर की गहराई तक या भू—जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग, पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का इस्तेमाल एवं खराब ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। दुलाई और निकास मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन भार को नियंत्रण रखा जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का २ प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं—

1. श्री गुड्डु कुमार, पिता—श्री पिंडु कुमार, ग्राम—धरमपुर, जिला—गया, द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू लदे वाहनों का आवागमन गाँव के बाहर से की जाय तथा बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधित प्रश्न किया गया।

l ✓

उत्तर— इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव ने बताया कि बालू खनन होने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से फायदा होगा और वाहनों का आवागमन अधिकांशतः गाँव के बाहर से ही किया जायेगा।

2. श्री मुन्द्रिका सिंह पिता—स्व० शिवनंदन सिंह, ग्राम—लोदीपुर, जिला—गया द्वारा सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण का कार्य प्रोजेक्ट स्थल पर ही किया जाय।
3. मो० तौसिफ आलम, पिता—मो० सकील अहमद, ग्राम—पुलिस लाईन, जिला—गया द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध की जाय। हरेक 4 कि०मी० में मेडिकल कैम्प की व्यवस्था की जाय। बालू लदे वाहनों का आवागमन के दौरान स्पीड (गति) नियंत्रित रखने संबंधित निदेश दिया जाय।
4. श्री परमानन्द सिंह, पिता—श्री दिनकरेश्वर सिंह, ग्राम—इस्माइलपुर, पो०—खिजरसराय, जिला—गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन के दौरान धूल—कण नियंत्रण हेतु जल—छिड़काव की व्यवस्था की जाय।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०प्र०नि० पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ—ही—साथ विकल्प सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। विकल्प सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने—जाने के समय या भीड़—भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ढक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2—3 मी० ही की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंशा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31/5/2010
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद, गया।

24.09.20
अपर समाहर्ता (वि०जा०)
गया

उपस्थिति सूची

मे० सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा० लि०, मे० राम इन्टरप्राईजेज प्रा० लि० द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-खिजरसराय के फल्गु नदी पर घाट-02, फल्गु घाट-03 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, खिजरसराय, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 22.09.2020 के (मंगलवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष शुभेश नाथ शुभेश पाठी	22/9/20	
2.	आशीष तुमारगुजर संभव निर्माण	बिहार राज्य प्रदूषक परामर्श	22-9-20
3.	Shambhu Nath Shukla A.P.D	Bihar State Pollution Control Board, Patna	Shukla
4.	Dr. Satish K. Srivastava Consultant	228 Rasta 2; Duran Mehowal	IKS Duran
5.	Pravin Kumar Sharma (Consultant)	B/2, flat no - 202 Jadpalpur City, Patna	Pravin Sharma 21/9/20
6.	Ravindra	Postal Park Chowk Chidgaganand Patha - 1	Ravindra 22/09/20
7.	प्रियंका चौधरी	१८, मानपुर रोड पटना	प्रियंका चौधरी
8.	प्रियंका चौधरी	३० बाजार पटलपुर रोड	प्रियंका चौधरी
9.	प्रियंका चौधरी	लाली यू	प्रियंका चौधरी
10.	परमालंद राहे नाम नाम नाम	पुस्तकालय खिजरसराय	परमालंद राहे
11.	सोहिल कर	सोहिल कर	सोहिल कर 22/9/20
12.	Sohil Kar	Bihar State Drug Control	Sohil Kar 22/9/20
13.	Avinash Singh	पटे, मानपुर, पटना बिहार	Avinash Singh

